

न्यायालय उप उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक/प्रशासन गांवों के संग अभियान/2023/563

दिनांक :-24.07.2023

राजस्व वाद सं. 243/2023

GCMS No. 2023/391

उनवान प्रकरण :- बुद्धाराम बनाम तहसीलदार

-: आदेश:-

वादी/प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती पत्र एवं पटवारी हल्का आनन्दपुरा व भू.अ.नि. जिलिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कुचामनसिटी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	आनन्दपुरा	44	बुद्धाराम पुत्र बालूराम हिस्सा 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/5 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी	बुद्धाराम पुत्र बालूराम हिस्सा 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/5 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी
2	आनन्दपुरा	230	बुद्धाराम पुत्र बालूराम हिस्सा 51/11776 जाति जाट सा. देह खातेदार	बुद्धाराम पुत्र बालूराम हिस्सा 51/11776 जाति जाट सा. देह खातेदार

क्रमांक/2023/564-565

दिनांक :-24.07.2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. तहसीलदार कुचामनसिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
2. वादी बुद्धाराम पुत्र बालूराम जाति जाट सा. आनन्दपुरा तह.कुचामन को सूचनार्थ



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

